राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान
डॉ. के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110012

सं.निस्केयर/राभा/सस/2017 दिनांकः 10.07.2017

कार्यालय-ज्ञापन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करना संस्थान का उत्तरदायित्व है। दिये गये कुछ लक्ष्य जिनका अनुपालन अनिवार्य है, निम्नलिखित हैं-

1. धारा 3(3) के अन्तर्गत द्विभाषी रूप में कार्यालय ज्ञापन जारी करना अनिवार्य है।
2. संस्थान द्वारा **क** क्षेत्र तथा **ख** क्षेत्र में शतप्रतिशत तथा **ग** क्षेत्र में 65 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी मे करना अनिवार्य है।
3. संस्थान द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रों को उत्तर हिन्दी में ही देना।
4. संस्थान द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखना तथा
5. संस्थान द्वारा जारी किये जाने वाले कार्यालय-ज्ञापनों/परिपत्रों इत्यादि को द्विभाषी रूप में ही जारी करना।
6. संस्थान में प्रयोग किये जा रहे मानक मसौदों का द्विभाषी रूप में ही प्रयोग करना।
7. फाइलों पर टिप्पणी हिन्दी में करना।
8. सभी द्विभाषिक उपकरणों विशेषकर कम्प्यूटरों पर कार्य मुख्यतया हिन्दी में ही किया जाए तथा इन पर हिन्दी कार्य का प्रतिशत बढ़ाया जाए।

अतः सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त वर्णित राजभाषा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में राजभाषा निर्देशों की अनदेखी न हो तथा नियमों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

11/7/17

हसन जावेद खाँ

(हसन जावेद खान)
प्रमुख,आईपीएसडी

प्रतिलिपिः

1. सभी विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
2. निदेशक कार्यालय
3. प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय
4. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु